चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की 157वीं बैठक

का कार्यवृत्त

दिनाँक : 21.09.2019

दिन : शनिवार

समय : अपरान्ह 12:00 बजे

स्थान : भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान,
रायबरेली रोड, लखनऊ के आडीटोरियम

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
प्रबन्ध मण्डल की 157वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनॉक : 21.09.2019

सभास्थल : भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था, रायबरेली रोड, लखनऊ

समय : अपरान्ह 12:00 बजे

उपस्थिति :–

1.	**डा0सुशील सोलोमन,** कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री **मासूम** अली **सरवर,** **विशेष सचिव,** कृषि शिक्षा एवं अनुसंधन विभाग	सदस्य / प्रतिनिधि प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा
3.	**श्री अजय जौहरी,** **अपर निदेशक** कानपुर।	सदस्य / प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त
4.	**श्री सौराज सिंह,** निदेशक कृषि, लखनऊ	सदस्य
5.	**डा0 अविनाश चन्द्र सचान,** संयुक्त निदेशक नियोजन	सदस्य / प्रतिनिधि निदेशक पशुपालन
6.	श्री **करण** सिंह पटेल, 20–एम0आई0जी0, आवास विकास कालोनी, फतेहपुर	सदस्य
7.	**श्री वीर सेन यादव,** 750W-2,दामोदर नगर, कानपुर–208027	सदस्य
8.	**श्री जगदीश सिंह यादव,** 730, शान्ती नगर, स्टेशन रोड,शिकोहाबाद, जिला–फिरोजाबाद	सदस्य
9.	श्री नथुनी सिंह **कुशवाह,** ग्राम व पोंस्ट–बसडीला मैनुद्दीन, जनपद–देवरिया।	सदस्य
10.	**डा0 ए0डी0 पाठक,** निदेशक, भारतीय गन्ना संस्थान, लखनऊ	सदस्य
11.	श्रीमती **रचना** सिंह, भरथना रोड, विधूना, जिला–औरेया।	सदस्य
12.	**श्री मनमोहन मिश्रा,** अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

मद संख्या 1	:	**प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 01.06.2019 को सम्पन्न हुई 156वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।** **मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि कर दी गयी तथा अनुपालन आख्या का संज्ञान लिया और यह निर्देश दिये की शासन अथवा श्री राज्यपाल सचिवालय के पत्रों का उत्तर भेजते समय संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि तथ्यो का गोपन न किया जाय। अर्थात प्रकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यो से शासन एवं श्री राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया जाय। कालान्तर में यदि यह पाया जाता है कि किसी तथ्य का गोपन किया गया है तो संबंधित अधिकारी उत्तर दायी माना जायेगा।**
मद संख्या 2	:	**चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 01.06.2019 को सम्पन्न हुई 156वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।** **154 वी बैठक मद सं0–5** प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि दिनांक 15.10.2019 से पूर्व निरीक्षण आख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाय। समिति के संयोजक निदेशक प्रसार यह सुनिश्चित करेगें कि समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों से वार्ता कर प्रक्षेत्रो का स्थलीय निरीक्षण कर समस्त प्रक्षेत्रों की भैतिक तथा वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में आख्या दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 से पूर्व कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करेगें। **154 वी बैठक मद सं0–6** प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया की निदेशक शोध की आख्या एवं निदेशक प्रसार की आख्या में विरोधाभाष है। निदेशक शोध ने अवैध कब्जो को हटाने और सोडिक लैण्ड सुधार के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। इस प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल द्वारा डा0 वेद रतन, अधिष्ठाता गृह विज्ञान संकाय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। जिसमे निदेशक शोध एवं निदेशक प्रसार सदस्य होगे। यह कमेटी स्थलीय निरीक्षण कर अभिलेखों के आधार पर दोनो बिन्दुओं के सम्बन्ध में जॉच आख्या कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगीं। **155 वी बैठक अन्य निर्देशः–** **बिन्दु संख्या– 1.** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि मा0 सदस्य श्री हरपाल सिंह जी से यह पूछ लिया जाय कि वह प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के दयित्वों का निर्वहन हेतु इच्छुक है या नहीं।

बिन्दु सं0–2.

प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि बिना हैन्डेड ओबर एवं टेक ओबर की कार्यवाही पूर्ण किये विश्वविद्यालय निर्माणाधीन भवनों में कार्य कैसे प्रारम्भ कर देता है। प्रबन्ध मण्डल ने यह सूचना चाही है कि लखीमपुर खीरी महाविद्यालय के निर्माण हेतु कुल कितना धन स्वीकृत हुआ है। कार्यदायी संस्था को कितनी धनराशि कब–2 स्थानान्तरित की गयी है। स्वीकृति और उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष कितना कार्य पूर्ण हो चुका है। विश्वविद्यालय अभियन्ता की यह जिम्मेदारी होती है कि वह निर्माणधीन स्थलों का समय–2 पर निरीक्षण कर मानक एवं गुणवत्ता तथा वित्तीय तथा भैतिक प्रगति के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट करें। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय अभियन्ता समस्त बिन्दुओ पर अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय को प्रस्तुत करें। रिपोर्ट आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जाये। कार्यवाही विश्वविद्यालय अभियन्ता स्तर से होनी है।

बिन्दु सं0–3.

प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि गठित समिति एक माह के अन्दर प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियो का नियमानुसार परीक्षण कर रिपोर्ट कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह भी निर्देशं दिये गये कि गठित कमेटी में एक सदस्य आई0सी0ए0आर0 तथा एक सदस्य आई0आई0पी0आर0 से भी नामित किया जाय। कार्यवाही निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग के स्तर से होनी है।

156वीं बैठक अन्य निर्देशः–

बिन्दु सं0–2

लाभ–हानि बीज के उत्पादन वितरण छानन आदि सहित कुल लागत और कुल आय तथा हानि यदि कोई हुयी हो की सूचना कुलपति महोदय को दिनांक 15.10.2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत की जाय।

बिन्दु सं0–4

प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय अभियन्ता इसका प्रभावी अनुश्रवण करते हुये यथाशीघ्र समस्या का निराकरण करायें।

बिन्दु सं0–5

प्रबन्ध मण्डल द्वारा निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग एवं प्रभारी विधिक प्रकोष्ठ को एक माह के अन्दर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गयें।

बिन्दु सं0–8

प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि शासन के पत्र दिनांक 2.5.2019 से यह स्पष्ट है कि प्रक्षेत्रों एवं के0वी0के0 बैलेंश सीट लम्बी अवधि से लम्बित रही है। प्रक्षेत्र अधीक्षकों तथा नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्षों से स्तर पर लापरवाही की गयी है। शासन के पत्र दिनांक 2.5.2019 में जिन प्रक्षेत्र

		अधीक्षकों/नियंत्रण अधिकारी का नाम अंकित है उन सभी को कठोर चेतवानी निर्गत करने तथा भविष्य में अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन निष्ठ से करने के निर्देश दिये जाये। कार्यवाही निदेशक. प्रशासन एवं. मानीटरिंग के स्तर से होगी। **बिन्दु सं0–9** मा0 सदस्य श्री करण सिंह पटेल द्वारा यह बात उठाई गयी की समितियॉ क्यों बनायी जाती है। यदि प्रबन्ध मण्डल के निर्देशो एवं कुलपति महोदय द्वारा गठित समितियों के अध्यक्ष/सदस्य समय से वांछित कार्यवाही पूर्ण नही कर रहे है तो उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाय। निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग यह सुनिश्चित करें की गठित समिति के अध्यक्षों/सदस्यों ने कई कार्यवाही क्यो पूर्ण नही की है। उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाय। एक माह के अन्तर्गत यह कार्यवाही पूर्ण कर मा0 प्रबन्ध मण्डल को अगवत कराया। जाय कि कितनी कंमेटी बनी थी और बिन्दु क्या–2 थे और कमेटी ने क्या आख्या दी है। यह कार्यवाही एक माह के अन्तर्गत पूर्ण की जाय।
मद संख्या 3	:	**राज्य कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के शिक्षकों/समकक्षीय संवर्ग को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान का पुनरीक्षण का सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या–359/67– कृशिअ–19–1500(16) दिनांक 09.03.2019 को विश्वविद्यालय में प्रभावी किये जाने एवं विश्वविद्यालय नियम परिनियम में समावेशित किये जाने विषयक प्रस्ताव।** शासनादेश दिनांक 9.3.2019 के अनुसार कार्यवाही पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त शासनादेश केवल विश्वविद्यालय के शिक्षकों हेतु अनुमन्य है। के0वी0के0/के0जी0के0 के वैज्ञानिकों को सातवें वेतनमान के सम्बन्ध में आई0सी0ए0आर0 से निर्देश प्राप्त करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। शासनादेश दिनांक 9.3.2019 के प्रस्तर–5 सहित अन्य प्रविधानों का अक्षरसः पालन किया जायें। आई0सी0ए0आर0 से तथा शासन से निर्धारित बजट प्राप्त होने पर ही अवशेषों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। इसका कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
मद संख्या 4	:	**गृह विज्ञान संकाय के मानव विकास विभाग में नर्सरी आर्ब्जवेशन कार्य हेतु संविदा पर कार्यरत श्रीमती रेनू निषाद का मानदेय की धनराशि बढाने पर विचार।** प्रश्नगत प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में दिनांक 22.12.2004 का शासनादेश लाया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय अपनी प्राप्तियों से उक्त का भुगतान करना चाहता है। ऐसी दशा में परिश्रमिक की दर 15000/–प्रतिमाह करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 5	:	**श्री सुभाष चन्द्र, वैज्ञानिक (उद्यान), कृषि विज्ञान केन्द्र फिरोजाबाद को पी–एच0डी0 अध्ययन हेतु अध्ययन अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन का मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जायें। शासन से यह भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय की के0वी0के0 के वैज्ञानिकों को क्या–2 वेतनमान ग्रेड पे एवं अन्य लाभ अनुमन्य है । के0वी0के के सम्बन्ध में एक नियमावली का गठन कर कार्यवाही हो ताकि विश्वविद्यालय भविष्य में नियमावली शासनादेशो/नियमों के अनुरूप निर्णय ले सकें। जिससे कालान्तर मे कोई विसंगति न हो। शासन स्तर से शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा की गयी।
मद संख्या 6	:	**डा0 मुकेश श्रीवास्तव, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग का रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में कुलसचिव पद पर चयन को जाने के फलस्वरूप दो वर्ष का धारणाधिकार (Lien) उनके मूल पद पर सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की 156वीं बैठक दिनांक 01.06.2019 के मद संख्या–8 पर प्रस्तुत प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिया गया प्रबन्ध मण्डल ने श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 19.8.2019 का संज्ञान लिया। श्री वीर सेन यादव मा0 सदस्य द्वारा यह बात रखी गयी कि जिन कार्मिको को एक्ट के प्राविद्यानों के विपरीत लियन की सुविधा दी गयी है उन्हे लियन समाप्त करने की नोटिश दी जाय। सम्यक विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय में अब तक जितने भी ऐसे प्रकरण है जिसमें विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्यय–21 की धारा–3(एम)(iii) में विहित प्रविधानों का उलंघन किया गया है। उन समस्त प्रकरणों को विवरण सहित सूचीबद्ध करते हुये सूची श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित की जाय और निर्देश प्राप्त किये जाये। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि समस्त कार्मिकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाय। आच्छादित कार्मिको को दो माह का समय प्रदान किया जाय।
मद संख्या 7	:	**विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार विभाग में पदास्थित डा0 अशोक कुमार सिंह के सहायक महानिदेशक (प्रसार) के पद पर पुर्ननियुक्ति एवं विस्तार हेतु दिनांक 18.07.2015 से दिनांक 25.11.2019 तक की अवधि तक धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की 156वीं बैठक दिनांक 01.06.2019 के मद संख्या–9 पर प्रस्तुत प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल द्वारा समस्त तथ्यों का संज्ञान लिया गया। डा0 सिंह के मेल दिनाक 17.09.2019 को भी प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखा गया। प्रबन्ध मण्डल ने श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 19.8.2019 का संज्ञान लिया। श्री वीर सेन यादव मा0 सदस्य द्वारा यह बात रखी गयी कि जिन कार्मिको को एक्ट के प्राविद्यानों के विपरीत

		लियन की सुविधा दी गयी है उन्हे लियन समाप्त करने की नोटिश दी जाय। सम्यक विचारोपरान्त प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय में अब तक जितने भी ऐसे प्रकरण है जिसमें विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्यय–21 की धारा–3(एम)(iii) में विहित प्रविधानों का उलंघन किया गया है। उन समस्त प्रकरणों को विवरण सहित सूचीबद्ध करते हुये सूची श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित की जाय और निर्देश प्राप्त किये जाये। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि समस्त कार्मिकों को कारण बाताओं नोटिस जारी किया जाय। आच्छादित कार्मिको को दो माह का समय प्रदान किया जाय।
मद संख्या 8	:	**स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कार्यरत संविदा आधारित शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे कार्मिकों के पारिश्रमिक बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदिन किया गया।
मद संख्या 9	:	**कार्मिक अनुभाग–2 उत्तरं प्रदेश शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्याः 5/2019/4/1/2002/का–2/2019 टी0सी0–1 दिनांक 13.अगस्त, 2019 के प्राविधानानुसार रोस्टर एवं आरक्षण की व्यवस्था विश्वविद्यालय में लागू किये जाने विषयक प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्देश प्रदान किये गये कि आरक्षण की नयी व्यवस्था/रोस्टर का अनुपालन किया जाये। पूर्व मे जिन शैक्षणिक प्रकरणों में विज्ञापन या इण्टरव्यू हो चुका है पर अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं है उन समस्त प्रकरणों को निरस्त करते हुये नई आरक्षण व्यवस्था के तहत विज्ञापन/नियुक्त की कार्यवाही नियमानुसार अतिशीघ्र पूर्ण कर ली जाय।
मद संख्या 10	:	**कैरियर एडावांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक/समकक्षीय से सह–प्राध्यापक/समकक्षीय एवं सह–प्राध्यापक/समकक्षीय से प्राध्यापक/समकक्षीय पदनाम दिये जाने हेतु वर्ष 2019 में सम्पन्न हुए साक्षात्कार के उपरान्त चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।** प्रश्नगत प्रकरण में विश्वविद्यालय के कतिपय प्राध्यापकों/वैज्ञानिकों द्वारा मा0 सदस्यगणों को कई तरह के पत्र एवं शिकायती पत्र लिखे गये जिनका प्रबन्ध मण्डल द्वारा संज्ञान लेते हुये चर्चा की गयी। प्रबन्ध मण्डल द्वारा शासन के पत्र दिनाक 18.6.2019 का भी संज्ञान लिया गया। शासन के पत्र दिनांक 18.6.2019 के प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर–3 देखा गया गया। विशेष सचिव, कृषि शिक्षा द्वारा चर्चा के दौरान यह बताया गया की शासन स्तर पर यह प्रकरण विचाराधीन है। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 2.7.2019 का बिन्दुवार उत्तर आई0सी0ए0आर0 से अभी तक अप्राप्त है।

		प्रश्नगत प्रकरण में चूंकि 4–डी, 4–ई से अच्छादित समस्त साक्षत्कार एक साथ ही कराये गये है। अतः प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शासन स्तर से निर्देश प्राप्त होने तक लिफाफे खोलने की प्रकिया को स्थागित रखा जाये। प्रकरण में प्रबन्ध मण्डल द्वारा शासन के प्रतिनिधि से यह भी अपेक्षा की गयी कि शासन स्तर पर प्राप्त विभिन्न शिकायतो के कम में शीघ्र यथोचित निर्देश प्रदान किये जाय ताकि शासन के निर्देश के कम में अग्रिम कार्यवाही की जाय।
मद संख्या 11	:	**डा0 रूद्र प्रताप नारायण सिंह, वैज्ञानिक (प्रसार), के0वी0के0, दरियापुर, रायबरेली का धारणाधिकार दिनांक 13.12.2011 को पूर्ण होने पर दिनांक 14.12.2011 से 31.03.2019 अतिरिक्त धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।**
मद संख्या 12		**डा0 अरविन्द कुमार, वैज्ञानिक (सस्य), कृषि विज्ञान केन्द्र, फर्रूखाबाद का धारणाधिकार दिनांक 02.04.2013 को पूर्ण होने पर दिनांक 03.04.2013 से 31.03.2019 अतिरिक्त धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।**
मद संख्या 13		**डा0 देवेन्द्र बहादुर सिंह, वैज्ञानिक (उद्यान), कृषि विज्ञान केन्द्र, हरदोई का धारणाधिकार दिनांक 18.12.2013 को पूर्ण होने पर दिनांक 19.12.2015 से 31.03.2019 अतिरिक्त धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** प्रबन्ध मण्डल द्वारा गम्भीरता से चर्चा की गयी इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि 1.डा0 रूद्र प्रताप नारायण सिंह 2. डा0 अरविन्द कुमार 3. डा0 देवेन्द्र बहादुर सिंह विश्वविद्यालय से अनाधिकृत रूप अनुपस्थित रहें है। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैः– 1. डा0 रूद्र प्रताप नारायण सिंह आदि यदि अनाधिकृत अनुपस्थित थे तो बिना कुलपति महोदय के अनुमोदन प्राप्त किये इन्हे कार्यभार कैसे ग्रहण कराया गया। जिस अधिकारी ने बिना कुलपति महोदय के अनुमोदन के कार्यभार ग्रहण कराया है उनके बिरूद्ध कार्यवाही की जाय। 2. सम्बन्धित कार्मिक को प्रथम बार जब लियन प्रदान किया गया था उसकी समाप्ति के बाद इन्हे नोटिस प्रदान करने की जिम्मेदारी किस पटल सहायक और अधिकारी की थी। लियन समाप्त होने के बाद सम्बन्धित वैज्ञानिक को कब–2 नोटिस निर्गत किया गया। 3. सम्बन्धित वैज्ञानिक को कारण बताओं नोटिश जारी किया जाए कि बिना पैतृक विभाग की अनुमति प्राप्त किए वो इतनी लम्बी अवधि तक अनधिकृत रूप से भूमि सुधार निगम मे कैसे कार्यतर रहें। नोटिस में इस बात का उल्लेख किया जाए की पैतृक विभाग के अनुमति के बिना, जिस अवधि तक वो कार्यरत रहे है। उक्त अवधि को क्यो न अनधिकृत अनुपस्थित माना जाए। 4. प्रकरण शासन को संदर्भित करते हुये शासकीय निर्देश प्राप्त कर लिये जाये की ऐसी दशा में क्या कार्यवाही की जाय।

मद संख्या 14		**श्री वीर सेन यादव, मा0 सदस्य प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव।** मा0 सदस्य श्री वीर सेन यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के बिन्दु सं0–1 में मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये की समान कार्य समान वेतन के जितने भी कर्मचारी है उनके 75 प्रतिशत को प्रक्षेत्रों पर स्थानान्तरित किया जाए तथा 25 प्रतिशत जो तकनीकी प्रकार के कर्मचारी है तथा तकनीकी कार्यो मे दक्ष है उन्हे आवश्यकतानुसार अनुभागों मे रखा जाए ऐसा करने से एक तरफ प्रक्षेत्रों पर पर्याप्त कार्मिक होने से कार्य प्रभावित नहीं होगा और विभिन्न विभागों द्वारा अतिरिक्त श्रमिकों की जो स्वीकृति मॉगी जाती है उसका भी औचित्य नहीं रह जायेगा। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि श्रमिकों को मुख्यालय से प्रक्षेत्रों पर भेजे जाते समय विकल्प भी ले लिये जाय तथा सुविधानुसार श्रमिकों को उनके गृह स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने का ध्यान रखा जाय। यह कार्यवाही सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी द्वारा सम्पन्न की जाएगी।
मद संख्या 15	:	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**
पूरक 1	:	**चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर को दिनांक 01.4.2005 व उसके बाद नियुक्त कार्मिको के लिए नियोक्ता अंशदान की शासन से प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को व्यय करने की अनुमति के सम्बन्ध में।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 2	:	**दिनांक 09.10.2019 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समरोह में स्वर्ण, रजत, कॉस्य पदक एवं पुस्तक पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की सूची के अनुमोदन पर विचार।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
पूरक 3	:	**बी0टेक0 (डेयरी टेक्नालोजी) मे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को कमशः स्वर्ण, रजत एवं कॉस्य पदक प्रदान करने पा विचार।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
पूरक 4	:	**बी0एफ0एस–सी0 (फिसरीश सांइस) में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को कमशः स्वर्ण, रजत एवं कॉस्य पदक प्रदान करने पर विचार।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

पूरक 5	:	परिनियम के **अध्याय –13** में संशोधन विषयक। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि शासनादेश दिनांक 3.7.2014 विश्वविद्यालय में प्राप्त था। उसके प्रस्तर–2 में स्पष्ट शासकीय निर्देश है कि अधिष्ठाता तथा विभागाध्यक्षो के पदो पर भर्ती की कार्यवाही नहीं की जायेगी। सम्बन्धित पदो का उत्तर दायित्व संकाय/विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक द्वारा विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्वहन किया जायेगा। शासनादेश की अवहेलना करते हुये 25.05.2019 को विज्ञापन सं0 2/2019 निकाल गया। साक्षत्कार में बाहर के सदस्य भी आमंत्रित थे जिन्हे टी0ए0 एवं डी0ए0 भी दिया गया होगा। इसका संज्ञान लेते हुये प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्न निर्देश दिये गये। 1. सम्बन्धित पटल सहायक जिसकी जिम्मेदारी शासनादेश दिनांक 03.7.2014 को पत्रावली मे प्रस्तुत करने की थी उसने यदि पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है तो उसे तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुऐ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायें। 2. शासनादेश दिनांक 03.7.2014 का उल्लघन करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। 3. अधिष्ठाता की नियुक्ति हेतु किये गये विज्ञापन एवं प्रकिया को निरस्त करते हुये शासनादेश दिनांक 3.7.2014 के प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जाए। 4. निदेशक प्रसार, निदेशक शोध , अधिष्ठाता छात्र कल्याण, पुस्तकालय अध्यक्ष आदि पदो को तत्काल भरने हेतु प्रकिया के लिए शासकीय निर्देश प्राप्त कर लिए जाए। उपरोक्त समस्त कार्यवाही निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग के स्तर से की जायेगी।
पूरक 6	:	**डा0 अवनीन्द्र कुमार तिवारी, वैज्ञानिक (फसल सुरक्षा), कृषि विज्ञान केन्द्र, मैनपुरी का धारणाधिकार दिनांक 01.05.2017 को पूर्ण होने पर दिनांक 01.05.2017 से 31.05.2019 अतिरिक्त धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** डा0 अवनीन्द्र कुमार तिवारी विश्वविद्यालय से अनाधिकृत रूप अनुपस्थित रहें है। इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है:– 1. डा0 अवनीन्द्र कुमार तिवारी यदि अनाधिकृत अनुपस्थित थे तो बिना कुलपति महोदय के अनुमोदन प्राप्त किये इन्हे कार्यभार कैसे ग्रहण कराया गया। जिस अधिंकारी ने बिना कुलपति महोदय के अनुमोदन के कार्यभार ग्रहण कराया है उनके बिरूद्ध कार्यवाही की जाय। 2. सम्बन्धित कार्मिक को प्रथम बार जब लियन प्रदान किया गया था उसकी समाप्ति के बाद इन्हे नोटिस प्रदान करने की जिम्मेदारी किस पटल सहायक और अधिकारी की थी। लियन समाप्त होने के बाद सम्बन्धित वैज्ञानिक को कब नोटिस निर्गत किया गया। 3. सम्बन्धित वैज्ञानिक को कारण बताओं नोटिश जारी किया जाए एवं बिना पैतृक विभाग की अनुमति प्राप्त किए वो इतनी लम्बी अवधि तक अनधिकृत रूप से भूमि सुधार निगम मे कैसे कार्यतर रहे। नोटिस में इस बात का उल्लेख किया जाए की पैतृक विभाग के अनुमति के बिना, जिस अवधि तक वो भूमि सुधान निगम में कार्यरत रहे है, उक्त अवधि को क्यो न अनधिकृत अनुपस्थित माना जाए। 4. प्रकरण शासन को संदर्भित करते हुये शासकीय निर्देश प्राप्त कर लिये जाये की ऐसी दशा में क्या कार्यवाही की जाय।

पूरक 7	:	**विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 1450/79–दि–1–19–1 (क)–5–19 दिनांक 05.08.2019 जो उ0 प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा2 एवं धारा 11 में संशोधन किये जाने अनुमोदन पर विचार।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 8	:	**विश्वविद्यालय के मानव चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः 2088/67–कृशिअ–10–400 (33)/10 दिनांक 16.07.2010 एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.04.2010 के मद संख्या–14 के अनुसार संविदा पर रखने अथवा सीधी भर्ती के द्वारा विज्ञापन कर भरे जाने विषयक प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि यदि चिकित्साधिकारी/चिकित्सा परामर्शदाता का पद विश्वविद्यालय में सृजित है तो उसे तत्काल विज्ञापित करते हुये नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जाये।
पूरक 9	:	**डा0 योगेन्द्र कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, सस्य विज्ञान विभाग को दिनांक 16.01.2006 से दिनांक 13.04.2007 तक (453 दिन) का असाधारण अवैतनिक अवकाश पर विचार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।** प्रस्ताव का मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा अवलोकन किया गया और इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव में सम्बन्धित सहायक प्राध्यापक का न ही प्रार्थना पत्र संलग्न है और न ही विभागाध्यक्ष की संस्तुति है। दिनांक 16.1.2006 से 13.04.2007 तक के असाधारण अवकाश की मॉग की गयी है यह प्रकरण अबतक पूर्व मे क्यो प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अवधि मे डा0 योगेन्द्र कुमार सिंह कहॉ थे। उनके द्वारा इस अवधि मे क्या कार्य किया गया। उक्त अवधि में कोई अन्य नौकरी, व्यवसाय या अनौतिक, अनियमित कार्य तो नहीं किया गया। इस सम्बन्ध मे कोई तथ्य प्रस्ताव मे नही प्रस्तुत किये गये। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि याची से एक नोटरी शपथपत्र प्राप्त किया जाय। उनके द्वारा नोटरी में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन विभागाध्यक्ष से कराते हुये विभागाध्यक्ष औचित्यपूर्ण प्रस्ताव कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगें। तदोपरान्त निदेशक प्रशासन एवं मानीटरिंग द्वारा, स्थापित नियमों के अधीन उसका परीक्षण करते हुये कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958/समय–2 पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
अन्य निर्देश	:	**बिन्दु सं0–1** श्री करण सिंह पटेल माननीय सदस्य ने यह अवगत कराया की विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों/कृषि विज्ञान केन्द्रो एवं मुख्यालय पर प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित जो भी कार्यकम आयोजित किये जाते है उनमें स्थानीय जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाय। ताकि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जनता के बीच योजनाओं के विषय में बता सकें एवं जन सामान्य की अपेक्षाओं का निराकरण कर सकें।

10 Mar

बिन्दु सं0–2 निदेशक कृषि ने यह अवगत कराया की विश्वविद्यालय का यदि प्रमाणितकृत बीज बिकी हेतु अवशेष रह जाता है तो कृषि विभाग अपने केन्द्रों के माध्यम से उसे खरीद सकता है। सात साल से कम वर्षो के जो भी तिलहन एवं दलहन के बीज है उनकी सूची विश्वविद्यालय स्तर से तैयार कराकर उसे निदेशक कृषि को उपलब्ध कराया जाय। बीज तैयार कराने की प्रकिया से किसानो को भी अवगत कराया जाय। सम्बन्धित कार्यक्रमों एवं मेला में किसनो को बीज तैयार करने की वैज्ञानिक प्रकिया से भी अवगत कराया जाय। निदेशक कृषि द्वारा यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय को ट्रेनिग स्कीम भी प्रदान की जा सकती है। जिसमें बीज की बुवाई से लेकर भण्डारण तक की समस्त प्रकियाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने का प्राविधान है। किसानों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान भी बताया गया है। निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र कृषि विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उनकी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करे तथा उसका कियान्वयन विश्वविद्यालय में करें।

बिन्दु सं0–3 श्रीमती रचना सिंह मा0 सदस्य ने यह बताया कि इटावा डेरी कालेज में फिशिरीज एवं डेरी कालेज में स्टाफ की कमी है जिस कारण पठन–पाठन प्रभावित है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि शीघ्रता से नियमानुसार कार्यवाही करते हुये फिशिरीज एवं डेरी कालेज में आवश्यक स्टाफ को रखने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

बिन्दु सं0–4 श्री वीर सेन यादव मा0 सदस्य द्वारा इटावा डेरी कालेज के भूमि विवाद को शीघ्रता से सुलझाने तथा इटावा के0वी0के0 के आवासों पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया गया। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा निदेशक प्रसार को यह निर्देश दिये गये कि स्थानीय प्रशासन की सहायता प्राप्त कर के0वी0के0 के आवसो पर अनाधिकृत कब्जो को तत्काल हटाने की कार्यवाही पूर्ण की जाय। अगली बोर्ड बैठक में अनुपालन आख्या निदेशक प्रसार प्रस्तुत करें।

बिन्दु सं0–5 श्री करन सिंह पटेल मा0 सदस्य द्वारा यह अवगत कराया गया कि बीज उत्पादन अधिकारी जनक को पूर्व की भॉति तथा आई0सी0ए0आर0 के निर्देशानुसार अरौल, डीघ, एन0डी0एफ0 कल्यानपुर प्रक्षेत्रों की जिम्मेदारी प्रदान की जाये। इस सम्बन्ध में मा0 विधायक श्री अभिजीत सिंह, सांगा जो प्रबन्ध मण्डल के

मा0 सदस्य भी है द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 18.9.2019 का भी संज्ञान लिया गया जिसमें उन्होने आई0सी0ए0आर0 नई दिल्ली के निर्देशानुसार पूर्व में लागू व्यवस्था के अनुपालन में बीज उत्पादन अधिकारी जनक को अरौल, डीघ, एन0डी0एफ0 कल्यानपुर प्रक्षेत्रों का आवंटन एंव जनक बीज विधायन की जिम्मेदारी दिये जाने हेतु कहा है। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों पर विचार करते हुये अनुरोधानुसार कार्यवाही की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0–6 श्री वीर सेन यादव द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक में ही अपने हस्ताक्षर से ही छः प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो निम्नवत्:–

1. महिला छात्रावासों मे सेनेटरी पैड डिस्पोजल मशीन लगायी जाय।
2. छात्रावासों के सभी मेसो में आर0ओ0 और कीट पतंग नष्ट करने वाली मशीन लगायी जाय।
3. विश्वविद्यालय के अधिकांश शिक्षकों एवं वैज्ञानिकों ने पूर्व में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर 5 से 6 तक अतिरिक्त इन्क्रीमेन्ट लिये है। सरकार को राजस्व हॉनि पहुॅचायी है। विगत दस वर्षो के सभी वेतन निर्धारण तथा सभी सेवा पुस्तिकाओं एवं व्यक्तिगतं पत्रावलियों की स्पेशल आडिट सी0ए0जी0 से कराने का अनुरोध शासन से किया जाय।
4. सभी प्रक्षेत्रों/के0वी0के0/डेयरी की विगत 10 वर्षो की फोरेसिंक आडिट कराने का शासन से अनुरोध किया जाय। विगत 10 वर्षो में विभिन्न प्रोजेक्टों में लाखों के उपकरण, घरेलू उपकरण, लैपटाप आदि कई–कई बार खरीदे गये है। वे समस्त सामग्री गायब है। एक ही सामग्री बार–बार कय की गयी है। निदेशक प्रसार ने अपने पत्र द्वारा कतिपय पूर्व परियोजनाधिकारियों से स्टाक रजिस्टर आदि की मॉग की है। परन्तु कोई कारवाई नहीं है। विगत वर्षो में संचालित प्रोजेक्टों के साथ–साथ आर0के0वी0वाई0, सेन्ट्ल फार एक्सीलेन्स और कास्ट योजनाओं की भी——— आडिट कराया जाय।
5. विश्वविद्यालय में कुल कितनी युनियन है। किनका–किनका रजिस्ट्रेशन अपडेट है। नियमतः एक संस्था में कितनी यूनियन होनी चाहिए। इसका परीक्षण कराकर नियमानुसार अगली कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त का संज्ञान लेते हुये प्रबन्ध मण्डल ने निम्न निर्देश दिये।

	बिन्दु सं0 1 एवं 2 पर कार्यवाही हेतु अधिष्ठाता छात्र कल्याण को निर्देश दिया गया कि नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न करें। बिन्दु सं0 3, एवं 4 पर कार्यवाही हेतु शासन से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया। बिन्दु सं0 5 पर कार्यवाही हेतु सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी को निर्देशित किया गया। **बिन्दु सं0 7** प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देश दिये गये कि अभियंत्रण सहित समस्त अनुभागो में रिक्त पदो को नियमानुसार भरने, विभिन्न अनुभागों में पदोन्नति समयवद्ध रूप से करने की समस्त कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र पूर्ण की जाय।

अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को सधन्यवाद सम्पन्न हो गयी।

(मनमोहन मिश्रा)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

(डा0 सुशील सलोमन)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल